दिनांक [illegible]

वादियागण की ओर से यह वाद पत्र श्री गोपाल बन्धु शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11 –11– 2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 08–11–2021

वादियागण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली प्राप्त की गयी। वादियागण की ओर से श्री गोपाल बन्धु एडवोकेट व महेन्द्र कुमार शर्मा पालौदा एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादियागण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि प्रकरण में दिनांक 11–11–2021 नियत है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिये पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

हमने प्रार्थना पत्र पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। वादियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दिनांक 09–11–2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

गायत्री
सुनीता
Identified
09-11-21
9/11/2021

दिनांक 09–11–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादियागण मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 देवप्रकाश की ओर से श्री रामावतार सिंह तंवर एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत । प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं भी उपस्थित। वादियागण व प्रतिवादीसंख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ जो [illegible]

चूंकि वादियागण [illegible] है। ऐसी स्थिति को वाद की [illegible] औचित्य नहीं है। अतः वादियागण का राजीनामा हो जाने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar Meena
Date: 2021.11.18 10:55:33 IST
Reason: SelfAttested